

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

स्टेट.....बनाम..... मुकेश गुप्ता

सत्रवाद सं०-1889/2025

अ०सं०-667/2024

धारा-77,78,352,351(3)BNS व धारा- 67 IT Act

तथा धारा- 3(1)द,ध, 3(2)(va) एस.सी./एस.टी.एक्ट

थाना-कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर।

दिनांक 13-03-2026

वादी सोनू कुमार तथा अभियुक्त मुकेश गुप्ता की तरफ से प्रार्थना पत्र कागज सं० 12ख प्रस्तुत करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रति संलग्न की गयी है। कम्प्यूटर अनुभाग से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सत्यापन कराया गया जिसमें यह पाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आफिसियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील सं०-938/2026 पर पारित आदेश दिनांकित 29-01-2026 में इस न्यायालय को यह निर्देशित किया गया है कि सुलहनामा तस्दीक किया जाय तथा सत्र परीक्षण की कार्यवाही स्थगित रखा जाय। जिसके क्रम में पक्षकारों द्वारा सुलहनामा कागज 10ख प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के क्रम में सुलहनामा कागज सं०10ख का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियुक्त मुकेश गुप्ता उपस्थित है तथा वादी मुकदमा सोनू कुमार व पीड़िता ममता उपस्थित है। न्यायालय के समक्ष वादी मुकदमा एवं अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है। अभियुक्त मुकेश गुप्ता की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक पाण्डेय एड० द्वारा किया गया तथा वादी मुकदमा सोनू कुमार व व पीड़िता ममता की पहचान उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार शाही एड० द्वारा किया गया। पक्षकारों को सुलहनामा कागज सं० 10ख पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। सुलहनामा के पक्षकारों द्वारा सुलहनामा पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी तथा सुलहनामा समक्ष न्यायालय तस्दीक किया गया।

(प्रवीण कुमार सिंह -द्वितीय)

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

ID No.- UP6051